

जब समय का  
तमाचा पड़ता  
है तो कोई फकीर  
तो कोई बादशाह बन  
जाता है।

- अज्ञात

# विचार-प्रवाह

देहरादून मंगलवार 28 जनवरी 2020

पेज थ्री

[www.page3news.in](http://www.page3news.in)

## फिल्म इंडस्ट्री में काफी गर्मागर्मी

सच कहें तो बॉलिवुड के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री सरकार समर्थक और विरोधी खेमों में बंटी नजर आ रही है।

अमित शर्मा।

सीएए, एनआरसी और जेएनयू-जामिया हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर मुबई फिल्म इंडस्ट्री में काफी गर्मागर्मी देखी जा रही है। इसका एक नमूना अभी दो बड़े एक्टरों की तीखी नाकझोंक में दिखा। नसीरुद्दीन शाह के अनुराग शयप, विशाल भारद्वाज, अनुभव सिन्हा, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर और अनुराग बसु जैसे लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अनुपम खेर, करगार रनौत, परेश रावल, विवेक ओबरैय, प्रसून जोशी, मधुर भंडारकर और विवेक अनन्होत्री जैसे लोग खुलकर सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार के विरोधी प्रदर्शनों को गलत बता रहे हैं। दो बड़े सितारे अक्षय कुमार और अजय देवगन सरकार के करीबी माने जाते हैं लेकिन तीखी बहसों में जाने से बचते हैं।

बॉलिवुड ने राजनीतिक सवालों पर कई इंडस्ट्री के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं।

और पूरी इंडस्ट्री सरकार समर्थक और विरोधी खेमों में बंटी नजर आ रही है। बहुत सारे मुद्दों पर नसीरुद्दीन शाह के अलावा अनुराग शयप, विशाल भारद्वाज, अनुभव सिन्हा, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर और अनुराग बसु जैसे लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अनुपम खेर, करगार रनौत, परेश रावल, विवेक ओबरैय, प्रसून जोशी, मधुर भंडारकर और विवेक अनन्होत्री जैसे लोग खुलकर सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार के विरोधी प्रदर्शनों को गलत बता रहे हैं। दो बड़े सितारे अक्षय कुमार और अजय देवगन सरकार के करीबी माने जाते हैं लेकिन तीखी बहसों में जाने से बचते हैं।

बॉलिवुड ने राजनीतिक सवालों पर कई

अच्छी फिल्में पेश की हैं, लेकिन इनसे जुड़े लोग राजनीतिक सक्रियता से बचते रहे हैं। इमरजेंसी और उसके तुरंत बाद वाले दौर में भी देवानंद, विजय आनंद, किशोर कुमार सरीखे अपवादों को छोड़ देते हुए फिल्मी दुनिया लगभग तटस्थ ही रही। बॉलिवुड में राजनीतिक सवालों पर सीधी सक्रियता 2014 के चुनाव के दौरान देखी गई, जब लगभग 60 फिल्मी हस्तियों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट देने की अपील की थी। इस पर कई कलाकारों ने ऐतराज जताया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही बॉलिवुड में विभाजन गहराता गया।



हस्तियों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट देने की अपील की थी। इस पर कई कलाकारों ने ऐतराज जताया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही बॉलिवुड में विभाजन गहराता गया।

## अपना दीपक खुद बनें

अशोक वोहरा।

दूसरे प्रकार का सवाल आत्म, आत्मा, ब्रह्म या परम वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। बुद्ध तब मौन हो गए जब उन्होंने ऐसे सवालों का

धर्म-दर्शन



सामना कियारू क्या आत्म होता है, या नहीं होता? वह मौन रह क्योंकि ये सवाल प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित है, तर्क से परे है और केवल अंतर्ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है। ये तर्कमूलक ज्ञान से संबंधित नहीं हैं।

हालांकि, बुद्ध के मौन का मतलब ये नहीं था कि वह किसी स्थायित्व के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं। एक उपदेश में वे कहते हैं कि "अजन्म, बेनाम होता है यदि वह वहाँ नहीं है, तो जीवन, नाम की दुनिया से बाहर नहीं जा सकता था।" इसलिए बुद्ध सलाह देते हैं "अपना दीपक खुद बनें।

## संपादकीय

### मतभेदों को कम करना

लगभग 50 वर्ष पहले जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की स्थापना हुई तो इसे 'यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम' कहा जाता था।

इसके संस्थापक क्लॉस श्वाब का लक्ष्य था यूरोप की कंपनियों को अमेरिकी मैनेजमेंट के तौर-तरीकों से परिचित करवाना। इसकी पहली मीटिंग में पश्चिमी यूरोप की कंपनियों के 444 टॉप अधिकारियों को निमंत्रण भेजा गया था। पर धीरे-धीरे इन मीटिंगों का उद्देश्य महज मैनेजमेंट ट्रेनिंग न होकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक-सामाजिक मुद्दों पर बातचीत और आपसी मतभेदों को कम करना हो गया।

सच कहें तो डब्ल्यूईएफ एक एनजीओ है, जिसके सदस्यों में दुनिया के बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस शामिल हैं। इसका घोषित मिशन है— 'समाज के व्यापारिक, राजनीतिक, अकादमिक और अन्य नेताओं का विचार-विनिमय, ताकि विश्व की स्थिति में सुधार हो।' यहाँ कॉर्पोरेट घरानों के सीईओज के अतिरिक्त ट्रॉप और मोदी, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी सिलेब्रिटीज, संभ्रात पत्रकारों और बैंकरों की भागीदारी भी होती है। इस बार की बैठक में इसके संस्थापक क्लास श्वाब ने आव्वान किया है कि पूँजीपतियों को अपने शेयरहोल्डरों के हितों से ऊपर उठकर सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को देखना चाहिए। अगस्त 2019 में अमेरिका में हुई बिजनेस राउंड टेबल की मीटिंग में, जिसमें टॉप के अमेरिकी कॉर्पोरेट्स शामिल थे, इस बात पर जोर दिया गया था कि कंपनियों को अपने लाभ के अलावा अपने कर्मचारियों के भविष्य में भी निवेश करना चाहिए और करीबी समुदायों की मदद करनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की बातें करना कॉर्पोरेट्स का शागल रहा है। वही पुरानी बातें हर बैठक में रीपैकेज करके पूँजीवाद में सुधार लाने की बात दावों-2020 के अजेंडे पर भी है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रक्रिया पर अमल करने वाले सरकारी अमलों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लोगों को 'संदिग्ध नागरिक' की श्रेणी में डाल दे।

## कानून के विरोध में याचिका

नवीन जोशी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर देश में जिस तरह का धर्वीकरण है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एक मामले में 144 याचिकाएं दायर होना अटपटा नहीं लगता। कोर्ट से जल्दी कोई आदेश मिल जाने की उमीद भी समझ में आती है। लेकिन इस कानून के विरोध और समर्थन में जुटे लोगों को इतनी ही समझदारी सुप्रीम कोर्ट के रवैये को लेकर भी दिखानी चाहिए, जिसकी तीन सदस्यीय बैच ने तत्काल इसके अमल पर रोक लगाने या इसे ज्यादा बड़ी बैच के पास भेजने का रास्ता नहीं अपनाया और सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए 4 हपते का समय दे दिया। कानून के विरोध में याचिका लगाने वालों की चिंता एक पहलू से काफी ठोस लगती है।

अदालत को बताया गया कि एनपीआर (नेशनल पॉल्यूशन रजिस्टर) की प्रक्रिया आगामी अप्रैल में ही शुरू होनी है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रक्रिया पर अमल करने वाले सरकारी अमलों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लोगों को 'संदिग्ध नागरिक' की श्रेणी में डाल दे। जिसके नाम के सामने यह निशन लग गया, उसकी मदद करने के लिए कोई गाइडलाइन भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बैच ने यह दलील सुनने

के बाद भी सीएए का अनुपालन निलंबित रखने का आग्रह स्वीकार नहीं किया तो इसकी दो वजह हैं। एक तो यह कि अभी तुरंत यह किसी के लिए जीवन-मरण का प्रश्न नहीं बनने जा रहा। दूसरे, यह कानून संवैधानिक तरीके से, यानी संसद के दोनों संदर्भों में बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल करने के बाद लागू हो रहा है, यानी देश का सामूहिक विवेक इसमें प्रतिविवित हो रहा है।

सरकार का पक्ष सुने बगैर इस बारे में कुछ कहना एक खराब परंपरा की शुरुआत करने जैसा ही था। देश की आबादी का एक हिस्सा अगर इस कानून में कोई गड़बड़ी महसूस कर रहा है तो उसे विरोध प्रदर्शन से आगे बढ़कर देश के सामूहिक विवेक में बदलाव लाने का जतन करना चाहिए। यह काम इतना बड़ा है कि इसमें किसी जल्दवाजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सही है कि सीएए के याचिका कर्ताओं के बाद देश के कई शहरों में विभिन्न तरीकों से ऐतराज जाताया जा रहा है। कुछ शुरुआती घटनाओं को छोड़ दें तो यह विरोध शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा है। इसके बावजूद सचाई यही है कि देश की विशाल जनसंख्या का कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा इस बहस से अछूता है।

BBC

VWS

सत्तापक्ष ने अपनी तरफ से लोगों के बीच जाकर उन्हें सीएए के बारे में बताने की साराहनीय पहल की है। इसका विरोध कर रहे लोगों के पास भी मौका है कि वे अपना पक्ष लोगों के बताएं। अदालत इस बारे में आगे अपना फैसला सुनाएगी ही, लेकिन इस बीच अगर भारत भारती की नागर